न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :-36 /2021 प्रा०भ

1. श्री प्यारा S/o भैरू जाति कुम्हार नि० नाथ खेड़ा - तह० करेड़ा - भी०

—प्रार्थी।

बनाम

1. श्री लक्ष्मी S/o संभु जाति कुम्हार नि० नया खेड़ा - तह० करेड़ा - भी०

—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांकः6 /4 / 2021.

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुवालां (उ०) पटवार हल्का कुवालां (उ०) भू०नि0 क्षेत्र पोरुलसा में उनके खाता संख्या 180 की आ0नं0 1341/1 0.0759 / 1343/2 0.0315 / 1344/1 0.0506 / 1347/1 0.2276 / 1354/1 0.0506 / 1408 0.1012 / कुल किता 6 रकबा 0.5438 हैक्टर स्थित है। ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2/2/21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की –फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम कुवालां (उ०) पटवार हल्का कुवालां (उ०) भू0अ0नि0 क्षेत्र पोरुलसा में उनके खाता ख्या 180 की आ0नं0 1341/1 0.0759 / 1343/2 0.0315 / 1344/1 0.0506 / 1347/1 0.2276 / 1354/1 0.0506 / 1408 0.1012 कुल किता 6 रकबा 0.5438 हैक्टर भूमि स्थित है। मि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 पोरुलसा को 500/-/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व त्र की यथास्थिति को बनाये रखते हुये नक्शा के मुताबिक पत्थरगढी की जावें। फसल ही होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)